

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :-4/आ0-1-105/2025 447(मा0)

/पटना, दिनांक :- 19/03/2026

सेवा में,

*Emmel*

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (यथा विवरणी संलग्न),  
अधीक्षण अभियंता (यथा विवरणी संलग्न),  
कार्यपालक अभियंता (यथा विवरणी संलग्न),  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार।  
विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग संख्या-36 के मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102- ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-उपशीर्ष- 0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना, विपत्र कोड-36- 2215011020001 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा- 01-01 वेतन में ₹37,98,188/- (सैंतीस लाख अठानबे हजार एक सौ अट्ठासी रूपये) मात्र, 01-03 जीवन यापन भत्ता में ₹13,33,415/- (तेरह लाख तैंतीस हजार चार सौ पंद्रह रूपये) मात्र, 01-04 मकान किराया भत्ता में ₹49,013/- (उनचास हजार तेरह रूपये) मात्र अर्थात् कुल ₹51,80,616/- (इक्यावन लाख अस्सी हजार छः सौ सोलह रूपये) मात्र का आवंटन।

- आदेश- आवंटन विवरणीनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित कार्यालयों को विपत्र कोड-36- 2215011020001 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा- 01-01 वेतन में ₹37,98,188/- (सैंतीस लाख अठानबे हजार एक सौ अट्ठासी रूपये) मात्र, 01-03 जीवन यापन भत्ता में ₹13,33,415/- (तेरह लाख तैंतीस हजार चार सौ पंद्रह रूपये) मात्र, 01-04 मकान किराया भत्ता में ₹49,013/- (उनचास हजार तेरह रूपये) मात्र अर्थात् कुल ₹51,80,616/- (इक्यावन लाख अस्सी हजार छः सौ सोलह रूपये) मात्र का निधि आवंटन किया जाता है।
- यह व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जाएगा।
  - यह व्यय माँग संख्या-36 के मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102- ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-उपशीर्ष- 0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना, विपत्र कोड-36- 2215011020001 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा- 01-01 वेतन, 01-03 जीवन यापन भत्ता, 01-04 मकान किराया भत्ता मद के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से संलग्न विवरणी के अनुसार विकलनीय है।
  - यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दि.-17.04.1998 एवं पत्रांक- 235/वि0, दि.-01.04.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
  - आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जाएगा।
  - आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
  - प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
  - इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

*Arjun Prasad*  
19/3/26  
(आलोक प्रताप)  
बजट पदाधिकारी

*Arjun Prasad*  
(नित्यानन्द प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

ज्ञापांक :-4/आ0-1-105/2025 447(मा0)

/पटना, दिनांक :- 19/03/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय एवं कार्य प्रबंधन) कोषांग/मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार)/बजट पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

*Arjun Prasad*  
19/3/26  
(आलोक प्रताप)  
बजट पदाधिकारी

*Arjun Prasad*  
(नित्यानन्द प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

पत्रांक-4 / आगो-1-105 / 2025- 447 (माग)

आवंटन विवरणी

दिनांक-19/05/26

(वित्तीय वर्ष 2025-26)

क्र० सं०	मांग संख्या / विपत्र कोड	कार्यालय का नाम	नियमित / बकाया वेतनादि हेतु वर्तमान आवंटित राशि				कुल (कॉलम 4+5+6)	कार्यालयी अधिशाचना का पत्रांक एवं दिनांक	अभ्युक्ति
			(01.01) वेतन	(01.03) जीवन यापन भत्ता	(01.04) मकान किराया भत्ता	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर	5,94,212.00	3,43,842.00	0.00	9,38,054.00	42 1279 133	21.01.26 18.11.25 10.02.26	
2	36-2215011020001	प्रक्षेत्र, पूर्णिया	3,96,866.00	76,038.00	0.00	4,72,904.00	164	20.02.26	
3		अंचल, नेगूसराय	1,21,500.00	29,838.00	9,096.00	1,60,434.00	58	10.02.26	
4		प्रमं., मुजफ्फरपुर	8,03,573.00	2,73,677.00	39,917.00	11,17,167.00	74	13.01.26	
5		प्रमं., धमदाहा	18,82,037.00	6,10,020.00	0.00	24,92,057.00	485	05.02.26	
		कुल	₹ 37,98,188.00	₹ 13,33,415.00	₹ 49,013.00	₹ 51,80,616.00			

How Paid  
(आलोक प्रताप)  
बजट पदाधिकारी

(नित्यानन्द प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)